न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 345/18 **निर्णय दिनांकः 13.05.2019**

1. सोहनराम पुत्र चान्दाराम जाति बावरी निवासी खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08—06—1983
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 08—06—1983 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर कोई गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि

अपीलांट खाजुवाला का निवासी नहीं है। अतः भूमि आवंटन का पात्र नहीं है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत किये गये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा तत्समय यह कहा गया कि जब भी भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08—06—1983 को अपीलांट को बिना सुनवाई व नोटिस प्रदान किये अपीलांट का आवंटन प्रार्थना सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट तहसील खाजुवाला का निवासी नहीं है, जिसके कारण पात्र नहीं होने के कारण अपीलांट का आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—06—1983 के विरूद्व अपील दिनांक 07—09—18 को पेश की है। जोकि 35 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र तहसील खाजुवाला का निवासी नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र संबंधित तहसीलदार से फोटो फार्म प्राप्त किया गया। उक्त फोटो फार्म पर संबंधित तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अंकित करते हुए अभिलिखित किया गया कि अपीलांट सोहनराम खाजुवाला का मूल निवासी नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थना पत्र केवल उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 2 मुख्यालय खाजुवाला क्षेत्र के मूल निवासियों से ही आमन्त्रित किये गये थे। जिसके कारण पात्रता नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि अपीलांट तहसील खाजुवाला का मूल निवासी है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आवंटी यदि अपने प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन रूचि रखता तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पॉच सात वर्ष के भीतर आवंटन अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित औपचारिकता पूर्ण करता तथा निरस्त किये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करता, परन्तु आगामी 35 वर्ष तक आंवटी अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ रहा। अपीलांट ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने के आगामी 35 वर्ष तक उसने कब कब व किस स्तर पर भूमि पर कब्जा लेने हेतु प्रयास किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विकल्ब के लिये बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है तथा न ही गुणावगुण पर अपीलांट को कोई अनुतोष दिया जा सकता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—06—1983 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर